दलितों को हरिजन कहना गैरकानूनी ही नहीं, अपमानजनक भी: हवासिंह सांगवान

भिवानी। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व कमांडेंट हवासिंह सांगवान ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बतलाया कि दलितों को हरिजन कहना भारत सरकार के पत्र संख्या एफ 10/42/83 - क्च(क्क) दिनांक 31 अगस्त, 1982 तथा चुनाव आयोग पत्र संख्या 437/684 दिनांक 2 दिसंबर, 1984 के अनुसार गैरकानूनी ही नहीं, अपमानजनक भी है। ऐसा कहने वालों के विरोध में एससी, एसटी एक्ट 1993 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ये शब्द अपमानजनक इसलिए है कि 13वीं शताब्दी से दलितों की लड़कियों को यह प्रलोभन दिया जाता रहा कि वे मंदिरों में अपनी सेवाएं देंगी, तो उनके तथा उनके परिवार के लिए स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे और उनके परिवार को भी किसी प्रकार के कभी कष्ट नहीं होगे। इन लड़कियों को मंदिरों में देवदासियां बनाकर नचाया जाता था तथा पंडे पुजारियों द्वारा इनके जो नाजायज संतान पैदा होती थी, उसे ही हरिजन कहा जाता था। ये देवदासियां केवल दलितों की ही नहीं, पिछड़ी जातियों से भी होती थीं और ये प्रथा आज भी दक्षिण के मंदिरों में किसी न किसी रूप में प्रचलित है।

सांगवान ने आगे बतलाया कि धर्म के नाम से दलितों और पिछड़ों का सदियों से शोषण होता आ रहा है, चाहे वे जेहाद का मामला हो या हिंदुत्व का। आजादी के बाद भी इन वर्गों को राजनेताओं द्वारा धर्म के नाम पर बहकाकर नए-नए तरीके निकालकर शोषण हो रहा है। इस शोषण को रोकने के लिए 24 नवंबर को रोहतक में बामसेफ और अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन करेंगी, जहां पर धर्म के नाम से इन वर्गों का शोषण करने वालों के विरोध में बिगुल बजा दिया जाएगा।

16/10/2013